



उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद्, देहरादून (पंजीकृत)
Uttarakhand State Council for Child Welfare, Dehradun (Regd.)

बाल-भवन, आमवाला तरला-ननूरखेड़ा, पो 0 ओ0-रायपुर, देहरादून - 248008
दूरभाष: 0135-2789846 ई-मेल: ukscwddn@gmail.com, वेबसाइट: <https://ukscw.org/>
अध्यक्ष - श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड

पत्रांक: 430-442/उ0रा0बा0क0प0/मातृहीन-पितृहीन (VI-1)/2025-26 दिनांक: 25.07.2025

प्रेषक : महासचिव

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद्
देहरादून।

सेवामें :

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी

जनपद: देहरादून/टिहरी /चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/हरिद्वार/पौड़ी-गढ़वाल/नैनीताल/पिथौरागढ़/
चम्पावत /बागेश्वर/अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।

विषय :- मातृहीन-पितृहीन छात्र-छात्राओं को परिषद् द्वारा शैक्षिक सहायता वर्ष 2025-26 प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद्, देहरादून प्रदेश के विशेषतः आर्थिक रूप से कमजोर तथा असहाय वर्ग के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सुरक्षा एवं बहुमुखी विकास के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित करती रहती है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद्, देहरादून द्वारा इस वर्ष भी राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् मातृहीन-पितृहीन छात्र-छात्राओं, जिनको अन्य स्रोतों से शिक्षा सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, को शैक्षिक सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के कक्षा 06 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत् ऐसे-छात्र-छात्राओं-

- (1) जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं या 'माता या पिता' नहीं हैं।
- (2) जिन्हें अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की शिक्षा सहायता नहीं मिल रही है।
- (3) जिन छात्र-छात्राओं द्वारा गतवर्ष की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

के नाम पूर्ण विवरण सहित एवं अंतिम वर्ष की अंक तालिका, मातृहीन-पितृहीन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्कूल का पूरा पता, पिन कोड सहित संलग्न प्रारूप पर निर्धारित तिथि तक परिषद् के कार्यालय को प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि इस विषय पर व्यक्तिगत रुचि लेकर जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें कि वे अपने ब्लॉक के प्रधानाचार्यों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने विद्यालय के सम्बन्धित छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र संकलित कर एक साथ 15 सितम्बर 2025 तक परिषद् के कार्यालय -उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद् "बाल भवन" आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, रायपुर रोड, देहरादून-248008 पंजीकृत डाक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें। आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से भी जमा किये जा सकते हैं।

संलग्न :- 1. मातृहीन-पितृहीन शैक्षिक सहायता
आवेदन पत्र -पृष्ठ 01

भवदीय,

(पुष्पा मानस)

महासचिव

उ0रा0बा0क0प0